



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-12/2023

दिनांक- 09 -जनवरी- 2023

प्रेस विज्ञप्ति

थाना दीदारगंज

किशोरी को अगवा करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण- दिनांक 17.07.22 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय शिकायत किया गया कि मेरी नाबालिग लडकी को 1.शुभम पुत्र उदयरज 2. संदीप पुत्र बाबूराम साकिनान ग्राम मीरअहमदपुर तिलक थाना दीदारगंज आजमगढ़ भगा ले गये है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 184/22 धारा 363,366,120बी भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 08.01.2023 को प्र0नि0 विजय प्रताप सिंह व उ0नि0 अतिक अहमद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शुभम यादव पुत्र उदयरज यादव व पीडिता को गद्दोपुर बाजार से पकडा गया। अभियुक्त शुभम यादव पुत्र उदयरज यादव ग्राम मीरअहमदपुर तिलक थाना दीदारगंज आजमगढ़ को समय करिब 18.50 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 184/22 धारा 363,366,120बी भादवि0 थाना दीदारगंज, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. शुभम यादव पुत्र उदयरज यादव ग्राम मीरअहमदपुर तिलक थाना दीदारगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 विजय प्रताप सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना गम्भीरपुर

मारपीट में वाछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक 07.01.2022 को वादिनी मुकदमा किरन सिंह (आशा कार्यकर्ता) पत्नी अमित सिंह निवासी उमरी कला थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 06.01.2023 को राष्ट्रीय कार्यक्रम नियमित टीकाकरण माइक्रोप्लान के अनुसार प्राथमिक विद्यालय भोपालपुर मे टीकाकरण करते समय अभियुक्त शिवम यादव पुत्र रामबली निवासी भोपालपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा कोरोना का टीका लगाने की बात को लेकर गाली गलौज देते हुए मारा पीटा गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी तथा कार्यसरकार मे बाधा डाला गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 09/23 धारा 353,332,323,504,506,427 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. राजबहादुर यादव द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण - आज दिनांक 09.01.2023 को उ0नि0 राजबहादुर यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवम कुमार पुत्र रामबली प्रसाद निवासी ग्राम भोपालपुर उमरी कला थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को उमरीकला मोड़ से गिरफ्तारी समय करीब 09.10 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता - शिवम कुमार पुत्र रामबली प्रसाद निवासी ग्राम भोपालपुर उमरी कला थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0स0 09/23 धारा 353,332,323,504,506,427 भा0द0वि0 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

उ0नि0 राजबहादुर यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़।

हे0का0 महेन्द्र कुमार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़।

का0 भूपेश कुमार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़।

प्रेस नोट

थाना फूलपुर

चेकिंग के दौरान गोवंश की तश्करी करने वाला अभियुक्त 03 गोवंश व अवैध तमन्चा, कारतूस के साथ गिरफ्तार।

आज दिनांक 09.01.2023 को उ0नि0 हीरेन्द्र प्रताप सिंह व उ0नि0 माखन सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान आंधीपुर मोड़ नहर पुलिया अम्बारी से पिकअप गाड़ी में लदे गोवंशीय पशुओ के साथ कलीम पुत्र अब्दुल सलाम उम्र 24 वर्ष निवासी रानीमऊ थाना खेता सराय जिला जौनपुर को समय करीब 01.50 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 01अवैध तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 09/23 धारा 420/468/473 भादवि0

व 3/5/ए/8 गोवध निवारण अधि० व धारा 11 पशुक्रूरता अधि० एवं मु०अ०सं० 10/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु०अ०सं० 9/23 धारा 420/468/473 भादवि व 3/5/ए/8 गोवध निवारण अधि० व धारा 11 पशुक्रूरता अधि०।
2. मु०अ०सं० 10/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कलीम पुत्र अब्दुल सलाम निवासी रानी मऊ थाना खेतासराय जनपद जौनपुर।

आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 105/20 धारा 307/419/420/467/468/34/120 बी भादवि थाना फूलपुर
2. मु०अ०सं० 106/20 धारा -3/5ए/8 गोनि०अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० व 34/120 बी भादवि थाना फूलपुर
3. मु०अ०सं० 37/21 धारा 3(1) यूपी गै०एक्ट थाना खेतासराय जनपद जौनपुर
4. मु०अ०सं० -66/22 धारा - 3/5ए/8 गोनि०अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० व 120बी /420/467/468/471 भादवि थाना खेतासराय
5. मु०अ०सं० 74/22 धारा 147/323/427/504 थाना खेता सराय जनपद जौनपुर
6. मु०अ०सं० 93/22 धारा 406 भादवि थाना खेतासराय जनपद जौनपुर
7. मु०अ०सं० 151/20 धारा - 3/5ए/8 गोनि०अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना खेतासराय जौनपुर
8. मु०अ०सं० 9/23 धारा 420/468/473 भादवि व 3/5/ए/8 गोवध निवारण अधि० व धारा 11 पशुक्रूरता अधि०
9. मु०अ०सं० 10/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट ।

बरामदगी-

- 03 गोवंशीय पशु
- 02 वाहन चार पहिया (01 पिकअप गाड़ी 01 मारुति स्विफ्ट कार)
- 01 अवैध चमन्चा 315 बोरे
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोरे बरामदा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० हीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
2. उ०नि० माखन सिंह, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
3. का बीरेन्द्र यादव, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
4. का० इरफान, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
5. का० सुनील यादव, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
6. का० कुशलेश पाण्डेय, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
7. का० सुरेन्द्र यादव, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

थाना- अहरौला

गोवध अधिनियम में एक गिरफ्तार, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद; 01 दर्जन मुकदमें दर्ज ।

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- दिनांक 08.12.2022 को मु०अ०सं०- 422/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ०नि० फूलन यादव थाना अहरौला आजमगढ़ द्वारा की जा रही है।

2. घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक- 09.01.2023 को निरीक्षक श्री महेन्द्र कुमार यादव, उ०नि० श्री धनराज सिंह, उ०नि० श्री सुरेन्द्रनाथ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित जुनैद अहमद पुत्र रशीद सा० पीठापुर थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष को प्राथमिक पाठशाला के पास बहद ग्राम पीठापुर के पास से समय 10.55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा 12 बोरे व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोरे बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 09/2023 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा० न्याया० किया गया।
पंजीकृत अभियोग:- मु०अ०सं० 09/2023 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार अभियुक्त- जुनैद अहमद पुत्र रशीद सा० पीठापुर थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष
आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 126/2022 धारा 323/504/506 भादवि० थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
2. मु०अ०सं० 422/22 धारा 3/5ए/8 गो० नि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना अहरौला आजमगढ़
3. मु०अ०सं० 01/2016 धारा 3/5ए/8 गो० नि० व 11 पशु क्रूरता अधि० व 307 भादवि० थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
4. मु०अ०सं० 15/2021 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

5. मु0अ0सं0 462/2020 धारा 3/5ए/8 गो0 नि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 429 भादवि0 थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
 6. मु0अ0सं0 298/2022 धारा 323/427/452/504/506 भादवि0 थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
 7. मु0अ0सं0 472/2021 धारा 8/20 NDPS ACT थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
 8. मु0अ0सं0 114/2018 धारा 379/411 भादवि0 थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर
 9. मु0अ0सं0 264/2021 धारा 307 भादवि0 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
 - 10 मु0अ0सं0 265/2021 धारा 3/5ए/8 गो0 नि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
 11. मु0अ0सं0 266/2021 धारा 8/20 NDPS ACT थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
 12. मु0अ0सं0 762/2020 धारा 3/5ए/8 गो0 नि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
- बरामदगी- एक अदद तमन्चा 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- निरीक्षक श्री महेन्द्र कुमार यादव, उ0नि0 श्री धनराज सिंह ,उ0नि0 श्री सुरेन्द्रनाथ, मय हमराह थाना अहरौला, आजमगढ़ ।

प्रेस नोट

थाना देवगांव

चोरी की कई घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण –

दिनांक- 28.06.22 की रात में अभियुक्ता के लडके हरिकेश, ऋषिकेश व उसके साथी प्यारे लाल प्रजापति पुत्र लालचन्द निवासी गोडासन थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर व अमित राजभर पुत्र दिनेश राजभर ग्राम खनियरा थाना देवगांव आजमगढ़ ने मिलकर ग्राम खनियरा में एक घर में घुस कर चोरी किया था । जिसमें एक लैपटाप, रेडमी 8 मोबाईल, 30000 रुपये, एक सोने की चैन, एक पायल, अंगूठी व मंगलसूत्र चोरी किया गया था।

दिनांक- 02.07.22 को मेरे लडको अपने साथियों के साथ मिलकर रात्रि में ग्राम रणमों में चोरी किये थे । जिसमें नगद रुपये, सैमसंग का मोबाईल, सोने चाँदी के गहने आदि चोरी किये थे।

दिनांक- 20.07.22 को कस्बा लालगंज के गोलाबाजार में रात्रि में ताला तोड़कर अपने साथियों के साथ एक मकान में चोरी किये थे । जिसमें मंगलसूत्र, सोने का चैन, अंगूठी, पायल व अन्य सोने चाँदी के गहने व 40000 रुपये नगद मिला था।

दिनांक- 17/18.09.2022 की रात्रि अभियुक्ता के लडके ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक मकान में चोरी किये थे जिसमें मंहगी साड़ियाँ, मंहगी लहंगा व घरेलू सिलेण्डर, बर्तन व एक दो नाली बन्दूक उन लोगो ने चुराया था ।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 09.01.2023 को प्र0नि0 गजानंद चौबे मय हमराह व उ0नि0 श्री देवेन्द्र नाथ दूबे को सूचना मिली कि थाने पर हुई चोरी मे वांछित चल रही गायत्री देवी पत्नी स्व0 विरेन्द्र सिंह निवासी बेनूपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ हाल पता सुरूहुलपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ आज लालगंज कस्बे में किसी काम से घुम रही है । पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर तत्काल एक महिला को पकड़ लिया गया जिसने अपना नाम गायत्री देवी पत्नी स्व0 विरेन्द्र सिंह ग्राम बेनूपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ हाल पता सुरूहुलपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ बताया व महिला की तलाशी में दो अदद मोबाइल बरामद हुई । जिसके संबंध में पूछा गया तो बताया की साहब ये दोनो मोबाइल के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है मेरे लडके ऋषिकेश सिंह ने लाकर घर पर दिया था जिसे आज मै किसी दुकान पर बेचने के लिये ले जा रही थी कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया । बरामदशुदा मोबाइल का हुलिया इस प्रकार है- NOKIA ANDROID रंग काला व स्लेटी, MI ANDROIDONE रंग सफेद व भूरा । पकडी गया महिला को उसके अपराध अन्तर्गत धारा 41/411/413 भादवि का बोध कराते हुए तथा थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 262/2022 धारा 457/380/411 भादवि व मु0अ0सं0 353/2022 धारा 487/380/411 भादवि व मु0अ0सं0 223/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ के अपराध से अवगत कराते हुए समय करीब 10.25 बजे म0का0 सुषमा यादव के द्वारा हिरासत पुलिस में लिया गया ।

3. पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्ता ने बताया कि दिनांक 28.06.22 की रात में हमारे लडके हरिकेश , ऋषिकेश व उसके साथी प्यारे लाल प्रजापति पुत्र लालचन्द निवासी गोडासन थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर व अमित राजभर पुत्र दिनेश राजभर ग्राम खनियरा थाना देवगांव आजमगढ़ ने मिलकर ग्राम खनियरा में एक घर में घुस कर चोरी किये थे । जिसमें एक लैपटाप, रेडमी 8 मोबाईल, 30000 रुपये, एक सोने की चैन, एक पायल, अंगूठी व मंगलसूत्र चोरी किये थे । इसी तरह दिनांक 02.07.22 को मेरे लडको अपने साथियों के साथ मिलकर रात्रि में ग्राम रणमों में चोरी किये थे । जिसमें नगद रुपये, सैमसंग का मोबाईल, सोने चाँदी के गहने आदि चोरी किये थे तथा दिनांक 20.07.22 को कस्बा लालगंज के गोलाबाजार में रात्रि में ताला तोड़कर अपने साथियों के साथ एक मकान में चोरी किये थे । जिसमें मंगलसूत्र, सोने का चैन, अंगूठी, पायल व अन्य सोने चाँदी के गहने व 40000 रुपये नगद मिला था तथा दिनांक 17/18.09.2022 की रात्रि मेरे लडके अपने साथियों के साथ मिलकर एक मकान में चोरी किये थे जिसमें मंहगी साड़ियाँ, मंहगी लहंगा व घरेलू सिलेण्डर, बर्तन व एक दो नाली बन्दूक उन लोगो ने चुराया था । मौके से प्राप्त नगदी रुपये हम लोगो ने आपस में बांट लिए थे तथा बर्तन एवं मंहगी साड़ी व लहंगा प्यारेलाल प्रजापति को हिस्से के रूप में दे दिये थे वह उसी के पास होगा । साहब जो भी चोरी के गहने मिलते थे उसे मेरे लडके मुझे तथा मेरी बहू सिन्धू देवी पत्नी ऋषिकेश सिंह ग्राम बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ हाल पता

ग्राम सुरूहुलपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को बेचने के लिये देते थे। साहब चोरी के जो भी पैसा व गहने मेरे लडको द्वारा मुझे दिया गया था वह मकान बनवाने में खर्च हो गया है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- 08/2023 धारा 41,411,413 भादवि थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण- 1. नोकिया एण्ड्रायड मोबाईल 2. MI एण्ड्रायड मोबाइल

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त- गायत्री देवी पत्नी स्व0 विरेन्द्र सिंह ग्राम बेनूपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ हाल पता सुरूहुलपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिला
1.	262/2022	457/380/411	देवगाँव	आजमगढ़
2.	353/2022	487/380/411	देवगाँव	आजमगढ़
3.	223/2022	457/380/411	देवगाँव	आजमगढ़
4.	08/2023	41/411/413	देवगाँव	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:- गायत्री देवी पत्नी स्व0 विरेन्द्र सिंह ग्राम बेनूपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ हाल पता सुरूहुलपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 गजानन्द चौबे मय हमराह थाना देवगाँव आजमगढ़
2. उ0नि0 देवेन्द्र नाथ दूबे मय हमराह चौकी प्रभारी लालगंज थाना देवगाँव आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति

थाना कोतवाली जीयनपुर

फर्जी रेलवे का टिकट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफास; मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अभियुक्त के पास से टिकट बनाने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले कम्प्यूटर, प्रिन्टर व अन्य उपकरण तथा 07 पेज ट्रेन टिकट बुकिंग से सम्बन्धित विवरण युक्त कागजात बरामद।

पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक 07.01.2022 को वादी पी0पी0 पाठक उ0म0रे0सी0आई0टी/प्रयागराज द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि फर्जी व कुटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी पूर्वक यात्रा करने हेतु टिकट व फर्जी आईडी से फर्जी रेलवे टिकट अभियुक्त दुर्गाप्रसाद गुप्ता निवासी अन्जानशहीद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ मो0नं0 965xxxxxx 2. अजय कुमार हरिओम साईबर कैफे मो0नं0 980xxxxxx 3. संजय यादव मो0नं0 7021xxxxxx 4. सोबिन्द यादव प्रज्जवल आनलाईन सर्वेसेस गोलाबाजार मेहनगर 5. लमलेश मो0नं0 739xxxxxx 6. मो0नं0 938xxxxxx नाम पता अज्ञात 7. मो0नं0 775xxxxxx नाम पता अज्ञात द्वारा तैयार किया गया, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 27/2023 धारा 419/420/467/468/471/120-B भादवि बनाम 1.दुर्गाप्रसाद गुप्ता आदि 07 नफर पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ.नि. शंकर कुमार यादव द्वारा द्वारा सम्पादित की जा रही है

गिरफ्तारी का विवरण - आज दिनांक 09/01/2023 को उ.नि. शंकर कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दुर्गाप्रसाद गुप्ता पुत्र महगू गुप्ता निवासी अन्जानशहीद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को अँजान शहीद बाजार से समय करीब 12.25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया अभियुक्त के पास से 01 अदद मानिटर SAMSUNG कम्पनी, 01 अदद लैपटाप DELL कम्पनी, 01 अदद सी0पी0यु0 INTEX कम्पनी, 01 अदद किबोर्ड TVS कम्पनी, 01 अदद प्रिन्टर EPSON कम्पनी, 01 अदद माऊस TVS कम्पनी व 07 पेज ट्रेन टिकट बुकिंग से सम्बन्धित विवरण युक्त कागजात बरामद हुआ अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 27/2023 धारा 419/420/467/468/471/120-B भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास - मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी -

1. 01 अदद मानिटर SAMSUNG कम्पनी,
2. 01 अदद लैपटाप DELL कम्पनी,
3. 01 अदद सी0पी0यु0 INTEX कम्पनी,
4. 01 अदद किबोर्ड TVS कम्पनी,
5. 01 अदद प्रिन्टर EPSON कम्पनी,
6. 01 अदद माऊस TVS कम्पनी
7. 07 पेज ट्रेन टिकट बुकिंग से सम्बन्धित विवरण युक्त कागजात।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1-दुर्गाप्रसाद गुप्ता पुत्र महगू गुप्ता निवासी अन्जानशहीद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ.नि. शंकर कुमार यादव मय हमराह थाना जीयनपुर, आजमगढ़ ।

थाना- कप्तानगंज

मोबाइल की लूट/चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार; अवैध तमंचा कारतूस बरामद

1.पूर्व की घटना /इतिहास का विवरण- दिनांक 03.01.2023 को वादी मुकदमा श्री अभिषेक यादव पुत्र रामानन्द यादव निवासी गौरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा मोबाइल लूट के सम्बन्ध में आनलाईन लखनऊ प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके परिपेक्ष में आनलाईन लखनऊ से मु0अ0सं0 3/2023 धारा 392 IPC पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री बेचू प्रसाद यादव द्वारा की जा रही थी।

दिनांक- 08.01.2023 को वादी मुकदमा श्री रूपेश गोड़ पुत्र विनोद गोड़ निवासी खासबेगपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया गया कि वादी का मोबाइल VIVO Y-2 दो अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर के ले जाया जा रहा था वादी मुकदमा द्वारा रोकने पर अज्ञात अभियुक्त द्वारा तमंचा दिखा कर डरा दिया गया और वादी का मोबाइल चुरा लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 9/2023 धारा 382 IPC पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव द्वारा की जा रही थी।

2.गिरफ्तारी का विवरण –दिनांक 09.01.23 को उ0नि0 वेचू प्रसाद यादव, उ0नि0 प्रमोद यादव मय हमराह को सूचना मिली कि लूट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त अपनी हिरो स्पेन्डर मो0 साइकिल से हेतुगंज बाजार से खलीफतपुर की तरफ जाने वाले है । इस सूचना पर तत्काल उ0नि0 द्वारा S.O.G प्रभारी उ0नि0 श्री प्रकाश शुक्ला मय हमराह अवगत कराते हुए खलीफतपुर पुलिया पास से एक मो0सा0 पर सवार 02 व्यक्ति आते हुए संदिग्ध व्यक्तियों को घेर घारकर पकड़ लिया गया पकड़े. पकड़े गये व्यक्तियों ने अपना नाम क्रमशः1- इमरान अहमद S/0 मुनीब अहमद ग्रा0 नेवादा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष बताया जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा .303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.303 बोर व 01 अदद मोबाईल VIVO बरामद हुआ। 2-कन्हैया उर्फ शिव पुत्र पलकधारी ग्रा0 नेवादा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष बताया जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 0.303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.303 बोर व मोबोईल Realme बरामद हुआ।

गिरफ्तार दोनो अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 21.12.22 की शाम को लगभग 06 बजे हम दोनो ने मिलकर ग्रा0 गौरा के पास शिलनी नदी पुल पर साइकिल से जा रहे 01 व्यक्ति से रियलमी का मोबाईल लूटा था तथा दिनांक 30.12.22 की शाम लगभग 06.00 बजे खरकौली पुलिया के पास मो0 सा0 पर रखे मोबाईल को चुरा लिया था यह दोनो घटना हम दोनो ने एक साथ मिलकर अपनी इसी मोटर साइकिल से किया था मो0 सा0 की पेपर की मांग करने पर दिखाने मे कासिर रहा एवं इमरान अहमद ने बताया कि यह गाडी मेरे भाई सुफीद अहमद के नाम से है। जिसको धारा 207 MV Act में सीज किया गया। बरामद मोबाइल रियल मोबाइल को खोलकर देखा गया जिसका IMEI No.863611040867137 व 863611040867129 अंकित है जो मु0अ0सं0 03/23 धारा 392 I.P.C से सम्बन्धित है एवं बरामद मोबाइल VIVO को खोलकर देखा गया जिसका IMEI No. 861175068483971 व 861175068483963 अंकित है जो मु0अ0सं0 09/23 धारा 382 I.P.C से सम्बन्धित है फर्द बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमा अ0सं0 03/23 व मु0अ0सं0 09/23 में धारा 411 I.P.C की बढोत्तरी की गयी है। अभियुक्त 1. इमरान अहमद पुत्र मुनीब अहमद व 2. कन्हैया उर्फ शिव पुत्र पलकधारी नि0गण नेवादा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 05.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 10/23 धारा 3/7/25 A Act थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 11/23 धारा 3/7/25 A Act थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास- अभियुक्त इमरान अहमद पुत्र मुनीब अहमद

1. मु0अ0सं0 03/23 धारा 392/411 IPC थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 09/23 धारा 382/411 IPC थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 10/23 धारा 3/7/25 A Act थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त कन्हैया उर्फ शिव पुत्र पलकधारी

1. मु0अ0सं0 03/23 धारा 392/411 IPC थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 09/23 धारा 382/411 IPC थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 11/23 धारा 3/7/25 A Act थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. इमरान अहमद पुत्र मुनीब अहमद निवासी नेवादा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
2. कन्हैया उर्फ शिव पुत्र पलकधारी निवासी नेवादा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी - 1. दो अदद तमंचा .303 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर, दो अदद मोबाइल लूट / चोरी की।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार उ0नि0 वेचू प्रसाद यादव उ0नि0 प्रमोद यादव मय हमराह ,थाना कप्तानगंज आजमगढ़
2. उ0नि0 श्री प्रकाश शुक्ला SOG प्रभारी मय टीम जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- कंधरापुर

➡ दिनांक-22.12.2017 को वादी भोला जायसवाल पुत्र स्व0 रामबेलास जायसवाल, इनदौरपुर उर्फ घिनहापुर, राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर ने थाना कंधरापुर पर शिकायत किया कि विपक्षी 1. सुभाष चन्द जायसवाल पुत्र स्व0 मंगला प्रसाद जायसवाल निवासी जोलहापुर, थाना कंधरापुर, आजमगढ़, 2. श्रीमती गुड्डी (बेबी जायसवाला पत्नी सुभाष चन्द्र जायसवाला निवासी जोलहापुर, थाना कंधरापुर द्वारा वादी की बेटी को दहेज के लिए प्रताडित किया गया तथा मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी गयी, इलाज के दौरान वादी की बेटी की मृत्यु हो गयी।

➡ जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 188 सन् 2017 अंतर्गत धारा 498ए, 304बी, भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

➡ आज दिनांक- 09.01.2022 को अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट), आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. सुभाष चन्द जायसवाल पुत्र स्व0 मंगला प्रसाद जायसवाल निवासी जोलहापुर, थाना कंधरापुर, आजमगढ़, 2. श्रीमती गुड्डी (बेबी जायसवाला पत्नी सुभाष चन्द्र जायसवाला निवासी जोलहापुर, थाना कंधरापुर को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 08 वर्ष के कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।